न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 236 सन 2013

अनवान :–

1. आरीफ मोहम्मद पुत्र श्री सतार मोहम्मद पुत्र नसार खों जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. सतार मोहम्मद पुत्र नसार खां जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर तहसील नोहर
2. जुलेखा पुत्री नसार खां जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. कर्मा बेगम पुत्री नसार खां जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री विजयसिह कडवासरा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 04/03/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की नसारखां पुत्र बुदुखां जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर के एक पुत्र सतार मोहम्मद प्रतिवादी संख्या 1 हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 नसार खां की पुत्रीयान है तथा सतार मोहम्मद प्रतिवादी संख्या 1 की शादी हुई तथा पहली औरत से वादी आरिफ मोहम्मद हुआ तथा दुसरी और से दो लडकीया व एक लडका हुआ।

वादी सतार मोहम्मद की पहली औरत से उत्पन्न सन्तान होने के कारण तथा सतार मोहम्मद की दुसरी शादी करने के कारण कभी वादी को अपने साथ नही रखा तथा ना ही उसने वादी का पालन पोषण किया वादी का पालन पोषण उसके दादा नसारखां ने किया उसी ने वादी का पढाया लिखाया तथा वादी के जवान होने पर अपने दादा की सेवा चाकरी की थी वादी नसारखों का एक अलग परिवार था तथा सतार मोहम्मद अपनी दुसरी औरत व उसके बच्चों के साथ अलग परिवार था ।

वादी के दादा नसार खां के नो से रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 3/5 की कुल 3.795हैक में से 60 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा नसारखां ने अपनी उक्त 60 हिस्सा भूमि का मरने से पहले जुलेखा, कर्माबेगम व अन्य नजदीकी रिश्तेदारों के समक्ष वादी को देने की बात कही और नसारखां ने अपनी समस्त भूमि का वादी को हिब्बा मौखिक कर दिया तथा वादी ने हिब्बा स्वीकार कर लिया था।

वाद भूमि पहले नसारखां काश्त करता था नसार खां के फोत होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है प्रतिवादीगण ने कभी भी भूमि काश्त नही की गई है किन्तु वाद भूमि मृतक नसारखां के नाम से दर्ज है जिसे वादी अपने मौखिक हिब्बा के आधार पर खातेदार काश्तकार होने के कारण अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है किन्तु प्रतिवदीगण वाद भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाना चाहते है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा व मौखिम हिब्बा के आधार पर वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिये वाद भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की मृतक के दादा नसारखां के नाम से दर्ज भूमि को अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को जरिये सम्मन तलब करने के उपरान्त भी न्यायालय में उपस्थित नही आने पर एकपक्षिय कार्यवाही की गई प्रतिवादी संख्या 4 ,5 फोरमल पक्षकार होने के कारण जबाब की आवश्यकता नही तथा वादी को साक्ष्य पेश करने का बार बार अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार का साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्यवादी बन्द किये जाकर वादी की बहस सुनी गई।

वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की नसारखां पुत्र बुदुखां जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर के एक पुत्र सतार मोहम्मद प्रतिवादी संख्या 1 हुआ तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 नसार खां की पुत्रीयान है तथा सतार मोहम्मद प्रतिवादी संख्या 1 की शादी हुई तथा पहली औरत से वादी आरिफ मोहम्मद हुआ तथा दुसरी और से दो लडकीया व एक लडका हुआ।

वादी सतार मोहम्मद की पहली औरत से उत्पन्न सन्तान होने के कारण तथा सतार मोहम्मद की दुसरी शादी करने के कारण कभी वादी को अपने साथ नही रखा तथा ना ही उसने वादी का पालन पोषण किया वादी का पालन पोषण उसके दादा नसारखां ने किया उसी ने वादी का पढाया लिखाया तथा वादी के जवान होने पर अपने दादा की सेवा चाकरी की थी वादी नसारखों का एक अलग परिवार था तथा सतार मोहम्मद अपनी दुसरी औरत व उसके बच्चों के साथ अलग परिवार था ।

वादी के दादा नसार खां के नो से रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 3/5 की कुल 3.795हैक में से 60 हिस्सा भूमि बतौर खातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वादी के दादा नसारखां ने अपनी उक्त 60 हिस्सा भूमि का मरने से पहले जुलेखा, कर्माबेगम व अन्य नजदीकी रिश्तेदारों के समक्ष वादी को देने की बात कही और नसारखां ने अपनी समस्त भूमि का वादी को हिब्बा मौखिक कर दिया तथा वादी ने हिब्बा स्वीकार कर लिया था।

वाद भूमि पहले नसारखां काश्त करता था नसार खां के फोत होने पर वादी के कब्जा काश्त में चली आ रही है प्रतिवादीगण ने कभी भी भूमि काश्त नही की गई है किन्तु वाद भूमि मृतक नसारखां के नाम से दर्ज है जिसे वादी अपने मौखिक हिब्बा के आधार पर खातेदार काश्तकार होने के कारण अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है किन्तु प्रतिवदीगण वाद भूमि को अपने नाम से दर्ज करवाना चाहते है जिससे वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने हक हिस्सा व मौखिम हिब्बा के आधार पर वाद भूमि का खातेदार काश्तकार है इसलिये वाद भूमि अपने नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

हमने बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 26 एनटीआर के खाता संख्या 3/5 की कुल 3.795हैक में से 60 हिस्सा भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी का कथन है वादी के दादा ने मरने से पूर्व प्रतिवादीगण एवं अन्य रिश्तेदारों के समक्ष मौखिक हिब्बा किया गया था जिसके आधार पर वादी वाद भूमि का खातेदार काश्तकार हो चुका है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहता है।

वादी ने अपने कथनों को साबित करने के लिये ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किये जिससे वादी के दादा नसारखां द्वारा वादी के पक्ष किया गया मौखिक हिब्बा साबित हो सके।

वादी ने नसारखां के जायज वारिसान को भी अपने वाद में पक्षकार नही बनाया गया है वादी स्वय ने स्वीकार किया की नसारखां के पुत्र सतार मोहम्मद ने दो शादीया की गई थी प्रथम शादी जिससे की गई उसका पुत्र तो वादी है परन्तु दुसरी शादी जिससे की गई थी उसके वारिसान को पक्षकार नही बनाया गया है जबकि वह वाद में आवश्यक पक्षकार है आवश्यक पक्षकारों के आधार पर भी वादी का वाद काबिज खारिज है।

वादी मौखिक हिब्बा के आधार पर हकों की धोषणा चाहता है नसारखां के द्वारा वाद में अंकितानुसार प्रतिवादीगण एवं अन्य रिश्तेदारो के समक्ष मौखिक हिब्बा किया गया था तो वादी का दायित्व था की वह नसारखां के द्वारा करवाये गये हिब्बा को प्रतिवादीगण एवं अन्य रिश्तेदार जो हिब्बा के समय उपस्थित थे के ब्यान करवाये जाकर हिब्बा को साबित करता किन्तु वादी को बार बार साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के उपरान्त भी किसी प्रकार को कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिसके कारण न्यायालय द्वारा वादी के साक्ष्य बन्द किये गये है अर्थात वादी ने अपने हिब्बा जिसके आधार पर अपने हकों की धोषणा चाहता है।उसको साबित करने में नाकाम रहा है।

इसप्रकार वादी अपने वाद को किसी भी प्रकार से साबित नही कर पाने के असमर्थ रहा तथा वादी ने अपने वाद में आवश्यक पक्षकारों को भी पक्षकार नही बनाया । वादी का वाद साक्ष्य सबूतो के आभाव में व आवश्यक पक्षकारो के अभाव मे साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वादी का वाद साक्ष्य सबुतो के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 04/3/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. आरीफ मोहम्मद पुत्र श्री सतार मोहम्मद पुत्र नसार खों जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 सतार मोहम्मद पुत्र नसार खां जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर तहसील नोहर
2. जुलेखा पुत्री नसार खां जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर तहसील नेाहर।
3. कर्मा बेगम पुत्री नसार खां जाति मुसलमान पठान निवासी नोहर तहसील नोहर
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
5. उप पंजीयक नोहर तहसील नोहर।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 236 सन 2013 निर्णय दिनांक– 04/03/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 04/03/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते